

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्री महावीर प्रसाद नायक, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या 11/2019 प्रार्थनापत्र

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

1. श्री बट्टी पिता छोटू धाकड निवासी आमली बारेठ तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा ।
2. श्री मिटू लाल पिता गोपाल धाकड निवासी आमली बारेठ तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा ।
3. श्री महावीर पिता गोपाल धाकड निवासी आमली बारेठ तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा ।
4. श्री बंजरग लाल पिता रघुनाथ धाकड निवासी रघुनाथपुरा तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा ।
5. श्री सोहन पिता रघुनाथ धाकड निवासी रघुनाथपुरा तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा ।
6. श्री रणजीत पिता रघुनाथ धाकड निवासी रघुनाथपुरा तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री छगना पिता जगन्नाथ धाकड निवासी आमली बारेठ तहसील फूलियाकलां
2. श्री रामहेत पिता गिला धाकड निवासी आमली बारेठ तहसील फूलियाकलां
3. श्री बालाबक्ष पिता ज्वारा धाकड निवासी आमली बारेठ तहसील फूलियाकलां
4. श्री रामगोपाल पिता मोहन धाकड निवासी आमली बारेठ तहसील फूलियाकलां
5. श्री गोपाल पिता सवाई कुमावत निवासी आमली बारेठ तहसील फूलियाकलां
6. श्री बालू पिता खाना धाकड निवासी आमली बारेठ तहसील फूलियाकलां
7. श्री जगदीश पिता लादू जाट निवासी आमली बारेठ तहसील फूलियाकलां
8. श्री खाना पिता मदन वैष्णव निवासी आमली बारेठ तहसील फूलियाकलां
9. श्री आशाराम पिता गोपी शर्मा निवासी आमली बारेठ तहसील फूलियाकलां
10. श्री विनोद पिता सोनाथ धाकड निवासी आमली बारेठ तहसील फूलियाकलां
11. श्री नाना पिता लालू धाकड निवासी आमली बारेठ तहसील फूलियाकलां

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा – 128 एल0आर0एक्ट

निर्णय

दिनांक 29.11.2019

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं :- प्रार्थीगण के ग्राम आमली बारेठ पटवार हल्का बालापुरा तहसील फूलियाकलां में प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार की आ0न0 260 रकबा 0.25, आ0न0 1700 रकबा 1.02, आ0न0 1712 रकबा 0.55, आ0न0 1867 रकबा 0.18, आ0न0 1868 रकबा 0.10, आ0न0 1869 रकबा 0.11, आ0न0 1875 रकबा 0.14, आ0न0 1876 रकबा 0.13, आ0न0 1877 रकबा 0.23 हैं0, का प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है।

प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने के कारण एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम आमली बारेठ संवत 2071 से 2074 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा आमली बारेठ में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी/संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता 9 रकबा 2.71 हैक्टर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार, फूलियाकलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस नियमानुसार प्रार्थीगण से तहसीलदार फूलियाकलां मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 29.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(एम0पी0 नायक)

आर0ए0एस0

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाड़ा)